70/16
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

. 13

मुन्तकिली प्रकरण सं0 70/2016 अनवानी नर सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 33 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1—ग्रामवासीगण चक 33 एच तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर 2—उपजिलाधीश, श्रीकरनपुर 3—तहसीलदार, श्रीकरनपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.11.2017

प्रार्थी के अभिभाषक श्री कुलविन्द्र सिंह उपस्थित है। अप्रार्थी सं0 1 ग्रामवासीयों के नोटिस की तामील सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा हुई है किन्तु उनकी तरफ से कोई उपस्थित नही आया। प्रार्थी के अभिभाषक को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक श्री कुलविन्द्र सिंह का कथन है कि प्रार्थी की सिंचित खातेदारी भूमि चक 33 एच के मु0न0 28 की सालम व मु0न0 34 में 12.10 बीघा है। इसी चक के मु0न0 29 के कि0न0 20 में शमशान के लिए गैरमुमकिन रकबा दर्ज है और चक 33 एच की आबादी मु0न0 34 से शमशान भूमि मु0न0 29 के कि0न0 20 तक जाने के लिए मु0न0 33 के कि0न0 1—10—11—20 में सरकारी खाला के साथ साथ रास्ता चालू स्थिति में है एवं जोंड़कियां गांव के लिए भी मु0न0 29 के कि0न0 1—10—11 में रास्ता चल रहा है। गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर नक्शा बनाकर प्रार्थी के मु0न0 28 के बीचों बीच रास्ता की मांग उपजिलाधीश, श्रीकरनपुर से की गयी है। जिस पर मु0न0 17/2016 ग्रामीवासी 33 एच बनाम स्टेट दर्ज किया जाकर प्रार्थी को दिनांक 25.07.2016 को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.07.16 को न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत करने के लिए अवसर चाहा तो मातहत अदालत द्वारा दिनांक 28.07.16 को फैसला करने का कहा गया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी के रकबा में से विधि विरूद्ध रास्ता स्वीकृत किया जा रहा है। उनका आगे कथन है कि गैरमुमकिन भूमि के संबंध में अदालत मातहत को क्षेत्राधिकार नही है इसके बावजूद भी गैर मुमकिन भूमि हेतू प्रार्थी के रकबा से रास्ता स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है जिस कारण प्रार्थी को मातहत न्यायालय से निष्पक्ष न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में लंबित उक्त रास्ता प्रकरण संख्या 17/2016 ग्रामवासी 33 एच बनाम स्टेट धारा 251ए आरटीए को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

70/16
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
A3/2

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली व उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर से प्राप्त टिप्पणी दिनांक 05.10.2016 का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर की टिप्पणी के अनुसार ग्रामवासी 33एच के निवासीगण के द्वारा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत 14 एस माझीवाला के द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट 14एस में दिनांक 27.06.2016 को चक 33 एच की शमशान भूमि को आने जाने के लिए रास्ता बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो प्रकरण संख्या 17/2016 दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं तारीख पेशी 25.07.2016 निर्धारित की गयी और तारीख 25.07.2016 को अप्रार्थीगण नर सिंह आदि की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये और शेष तथ्य गलत होने के कारण अस्वीकार किये है।

प्रार्थी के अभिभाषक का कथन कि दिनांक 25.07.2016 को मातहत न्यायालय में उपस्थित होकर जब जबाब हेतु समय चाहा गया तो अदालत मातहत द्वारा दिनांक 28.07.16 को फैसला करने का कहा गया। अपने उक्त कथन की पुष्टि में अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण 17/2016 की दिनांक 25.07.16, 28.07.16 या आज तक की अन्य ऑर्डर शीट की नकल पेश नही की गयी है जिससे उक्त कथन विश्वसनीय नही कहा जा सकता और न ही उक्त आधार पर प्रकरण मुन्तकिल किया जा सकता है। जहां तक प्रार्थी का यह कथन कि मातहत अदालत को गैरमुमकिन भूमि के लिए रास्ता स्वीकार करने का क्षेत्राधिकार नही है। इस सन्दर्भ में इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार के इस बिन्दु पर निर्णय करने की अधिकारिता नही है और न ही यह बिन्दु मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में तय हो सकता है। केवलमात्र सक्षम अपील न्यायालय ही इस बिन्दु पर निर्णय कर सकता है। ऐसी अवस्था में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकली प्रा0 पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( ज्ञाना राम )
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर